तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 57/2024 (2024/259) अनवान रामरख वगैरा बनाम गोरधनराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सयुक्त पुश्तैनी/खरीदसुदा सहखातेदार की खेत खसरा संख्या 91 रकबा 3.6341 हैक्टयर ग्राम लूणावास चारणां पटवार हल्का लूणावास कंला तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है, जो जमाबंदी चौसाला आधार 2076–2079 खेवट खतौनी खाता संख्या नया 176 व पुराना 162 से भी स्पष्ट है व इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सयुक्त पुश्तैनी/खरीदसुदा सहखातेदार का खेत खसरा संख्या 75/2 रकबा 22.7919 हैक्टयर ग्राम मेलबा, पटवार हल्का धवा प्रथम तहसील झंवर जिला जोधपुर में स्थित है। चुंकी मूल वाद संख्या 82/2024 (2024/260) अनवान रामरख वगैरा बनाम गोरधराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 23.03.2026 को प्राथमिक डिक्री आदेश मय डिक्री पर्चा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही होना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 91 रकबा 3.6341 हैक्टयर ग्राम लूणावास चारणां पटवार हल्का लूणावास कंला एवं खेत खसरा संख्या 75/2 रकबा 22.7919 हैक्टयर ग्राम मेलबा, तहसील झंवर जिला जोधपुर में उभयपक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	